



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052026-272768
CG-DL-E-21052026-272768

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2026/वैशाख 31, 1948

No. 2505]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2026/VAISAKHA 31, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

का.आ. 2597(अ).— धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की (जिसे इसमें इसके पश्चात धन शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित रिपोर्टिंग इकाईया आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करेंगी, आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और उपयुक्त विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, से परामर्श के पश्चात ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, धन शोधन अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन के लिए उक्त रिपोर्टिंग इकाईयों को अनुज्ञा प्रदान करती है अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	रिपोर्टिंग इकाई
(1)	(2)
1.	टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
2.	आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
3.	नैबफिन्स लिमिटेड
4.	इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
5.	इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
7.	ट्रांजैक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-भाग(1)]

सौरभ कुमार, निदेशक (व्यक्तिगत)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2026

S.O. 2597(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

S.No	Reporting Entity
(1)	(2)
1.	Toyota Financial Services India Limited
2.	Aditya Birla Capital Limited
3.	NABFINS Limited
4.	Indostar Capital Finance Limited
5.	Innofin Solutions Private Limited
6.	LIC Housing Finance Limited
7.	Transaction Analysts (India) Private Limited

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

SAURABH KUMAR, Director (Pers)